भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
26.07.2023 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1126 का उत्तर

नई रेल पटरियां बिछाना

1126. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार की देश में नई रेल पटरियां बिछाने की कोई योजना है;
(ख) यदि हां, तो क्या संसदीय निर्वाचन क्षेत्र धाराशिव में सोलरपुर-तुलजापुर-धाराशिव नए रेलमार्ग के लिए भूमि-अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या किसानों ने 26 जून, 2023 को कलेक्टर और जन-प्रतिनिधियों की उपस्थिति में हुई बैठक में भूमि-अधिग्रहण की प्रक्रिया को रोकने की मांग की थी और भूमि की सीधी खरीद के माध्यम से भूमि-अधिग्रहण का अनुरोध किया था;
(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रेल, संचार एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (च): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

नई रेल पटरियां बिछाने के संबंध में दिनांक 26.07.2023 को लोक सभा में श्री ओम पवन राजेनिंबालकर के अतारांकित प्रश्न सं. 1126 के भाग (क) से (च) के उत्तर के संबंध में विवरण।

(क) से (च): 01.04.2023 की स्थिति के अनुसार, पूरे भारतीय रेल में लगभग 3.99 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 20,659 किलोमीटर लंबाई की 189 नई लाइन परियोजनाएं योजना/स्वीकृति/निर्माण के चरण में हैं, जिसमें से 2,903 किलोमीटर लंबाई चालू कर दी गई है और मार्च, 2023 तक लगभग 1.37 लाख करोड़ रुपये का व्यय किया जा चुका है।

तुलजापुर के रास्ते सोलापुर-उस्मानाबाद नई रेल लाइन परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू कर दिया गया है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकार द्वारा रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अनुसार की जा रही है।

दिनांक 26.06.2023 को कलेक्टर कार्यालय, उस्मानाबाद में आयोजित एक बैठक में कलेक्टर और जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कुछ लोगों द्वारा प्रत्यक्ष खरीद विधि के माध्यम से भूमि अधिग्रहण के लिए अनुरोध किया गया था। बहरहाल, यह निर्णय लिया गया था कि इस परियोजना को विशेष रेल परियोजना घोषित करके रेल अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जाएगी। तदनुसार, तुलजापुर के रास्ते सोलापुर-उस्मानाबाद नई रेलवे लाइन को दिनांक 16.09.2022 की राजपत्र अधिसूचना के तहत विशेष रेलवे परियोजना के रूप में घोषित किया गया है। रेल अधिनियम, 1989 के उपबंधों के अंतर्गत अधिसूचनाएं राजपत्र में जारी की गई हैं। 150 करोड़ रुपये की भूमि मुआवजा राशि का अग्रिम भुगतान भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकरी (सीएएलए), उस्मानाबाद के पास जमा किया गया है और 20 करोड़ रुपये सीएएलए, सोलापुर के पास जमा किए गए हैं।

****